

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना।

आदेश

सं0सं0-4ए/फार्मा0-14-33/2026- 346(4ए)/स्वा०, पटना, दिनांक- 18/09/2026

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-2336, दिनांक-31.07.2026 द्वारा विज्ञापन संख्या-22/2025 के विरुद्ध फार्मासिस्ट पद के लिए अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को बिहार फार्मासिस्ट सेवा संवर्ग के अन्तर्गत फार्मासिस्ट मूल कोटि के पद पर अधोलिखित शर्तों के अधीन पे लेवल-5 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत तथा अनुमान्य भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से परीक्षा पर पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित स्थल/संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

Sr No	Application No	Candidate Name	Father's Name	DOB	Category	Common Merit No	Selection Category	Home District	Posting Place & District
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BR25P05150	QUAISER IMAM	AMZAD HUSSAIN	6/11/1978	EBC	7	UR	Gopalganj	Sadar Hospital, Siwan
2	BR25P05835	RAMESH KUMAR	MUKHIYA	21/08/1980	EBC	69	UR	West Champaran	Sadar Hospital, Gopalganj
3	BR25P04659	PRABHANJAN KUMAR	SHEODAYAL SINGH	21/06/1983	BC	77	UR	Aurangabad	Sadar Hospital, Sasaram, Rohtas
4	BR25P07797	NAVEEN KUMAR CHAUDHARY	JATA SHANKAR CHAUDHARY	13/08/1994	UR	143	UR	Darbhangha	Super Specialty Hospital, DMCH, Darbhanga
5	BR25P02909	VISHWAJEET NARAYAN	BAL BACHAN PRASAD	29/03/1984	EBC	218	UR	Buxar	Sadar Hospital, Ara, Bhojpur
6	BR25P00219	MD SALMAN	MD AMIRUL KHAN	6/3/2000	EWS	278	UR	Supaul	Sadar Hospital, Madhubani
7	BR25P00220	SAURABH SUMAN	VISHNUDEO YADAV	21/09/2003	BC	292	UR	Jamui	Sadar Hospital, Begusarai
8	BR25P05841	SNEHALATA KUMARI	SITARAM SAH	3/5/1990	EBC	326	UR	Bhagalpur	Super Speciality Hospital, JLNMCH, Bhagalpur

346(4A)
18/09/26

(Signature)

9	BR25P01488	KHALID ARSHAD	MD OZAIR ALAM	1/2/1989	EBC	425	UR	Nalanda	BMIMS HOSPITAL, PAWAPURI, NALANDA
10	BR25P06909	MANJEET KUMAR SINGH	MUKESH KUMAR SINGH	20/05/2000	EWS	457	UR	Aurangabad	Prabhawati Hospital, Gaya Ji
11	BR25P02426	SUJEET KUMAR	UPENDRA PRASAD CHAUDHARY	25/09/1993	UR	505	UR	Begusarai	Super Specialty Hospital, PMCH, Patna
12	BR25P00805	RABI BHUSHAN	KRISHNA NAND SINGH	14/01/1977	EWS	573	EWS	Gopalganj	Sadar Hospital, Motihari, East Champaran
13	BR25P05421	AMRITA KUMARI SINGH	SHIV SHANKAR SINGH	7/1/1983	UR	574	URF ema le	Katihar	Sadar Hospital, Araria
14	BR25P06235	TARIQUE AJMAL ANSARI	HAROON RASHID ANSARI	21/08/1990	EBC	579	EWS -UR	Saran	Super Specialty Hospital, SKMCH, Muzaffarpur
15	BR25P02251	SANOJ KUMAR	SATYENDRA KUMAR	15/02/1995	EWS	588	EWS	Patna	Super Specialty Hospital, PMCH, Patna
16	BR25P03087	MAYANK KUMAR	VIDYANAND CHOUDHARY	4/4/2003	UR	598	EWS -UR	Patna	Sadar Hospital, Chhapra, Saran
17	BR25P01114	NIRANJAN KUMAR MANDAL	DURGESH KUMAR MANDAL	15/10/1984	EBC	611	EBC	Banka	Super Specialty Hospital, DMCH, Darbhanga
18	BR25P06954	RASHMI RUHI	VINOD KUMAR	27/02/1979	BC	655	URF ema le	Bhagalpur	Sadar Hospital, Katihar
19	BR25P06823	ANIL KUMAR	JOGINDER YADAV	25/09/1991	BC	666	BC	Samastipur	Super Specialty Hospital, SKMCH, Muzaffarpur
20	BR25P00787	RAKESH KUMAR	BRIJ NANDAN SAHNI	5/10/1985	EBC	683	EBC	Sheohar	Sadar Hospital, Sitamarhi

346(4A)
18/09/26

21	BR25P07777	ANKIT KUMAR	RAM BABU MAHTO	16/01/2001	BC	715	BC	Sitamarhi	Super Specialty Hospital, ANMMCH, Gaya Ji
22	BR25P02239	VISHAL KUMAR	UDAY RAM	5/7/1999	SC	734	SC	Khagaria	Super Specialty Hospital, ANMMCH, Gaya Ji
23	BR25P08941	AMIT KUMAR SINGH	SUDHIR PRASAD SINGH	20/04/1990	ST	776	ST	Katihar	Sadar Hospital, Aurangabad
24	BR25P03253	MANURADHA KUMARI	MITHILESH KUMAR	20/01/1990	BC	806	URF female	Nalanda	BMIMS HOSPITAL, PAWAPURI, NALANDA

2. यह नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित नवनियुक्त फार्मासिस्टों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी। पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने/चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक/संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को होगी तथा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के सम्बन्ध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में संबंधित नवनियुक्त फार्मासिस्टों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. योगदान के समय नवनियुक्त फार्मासिस्टों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. सभी नवनियुक्त फार्मासिस्टों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक-03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त फार्मासिस्टों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित उनके शैक्षणिक/तकनीकी एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों तथा निबंधन प्रमाण, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर इस शर्त के साथ की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के गलत अथवा नियम विरुद्ध पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।



346(4A)
18/09/26

8. उपर्युक्त नवनियुक्त फार्मासिस्टों को निदेश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर निश्चित रूप से सभी प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के साथ संबंधित पदस्थापन संस्थान में योगदान देंगे। संबंधित अधीक्षक/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि वे अपने संस्थान/जिले में योगदान करने वाले नवनियुक्त एवं पदस्थापित फार्मासिस्टों से उनके शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे तथा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही उनके सभी शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का संधारण करेंगे तथा उक्त प्रमाण पत्रों का संबंधित निर्गत संस्थान से जाँच एवं सत्यापन कराकर विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से अवगत करायेंगे। स्वास्थ्य विभाग से उक्त अभ्यर्थियों का डोजियर उपलब्ध कराए जाने पर उनके प्रमाण पत्रों का मिलान/जाँच किया जाना सुनिश्चित कर लेंगे।

9. पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में योगदान के समय पूर्व सेवा से त्यागपत्र स्वीकृति के उपरान्त विरमन पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

10. योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान किया जायेगा। संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक/संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट से नियुक्ति पत्र की पुष्टि कर लेंगे।

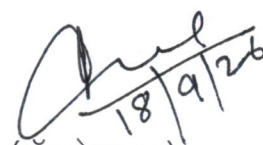
11. नवनियुक्त फार्मासिस्टों का प्रथम वेतनादि का भुगतान उनके शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों, पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन आदि के अंतिम जाँच प्रतिवेदन के उपरान्त ही किया जायेगा। कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी/गलत/नियम विरुद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

12. सभी नवनियुक्त फार्मासिस्टों सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

13. नवनियुक्त फार्मासिस्टों को पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14. उक्त आदेश में किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि अथवा भविष्य में त्रुटि परिलक्षित होने पर उसका यथोचित निराकरण किया जा सकेगा।

15. सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(डॉ० रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल्स)

स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

ज्ञापांक-4ए/फार्मा0-14-33/2026- 346 (4ए)/स्वा०, पटना, दिनांक- 18/09/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित अधीक्षक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/संबंधित सिविल सर्जन, बिहार/निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी नवनियुक्त फार्मासिस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
यह आदेश विभागीय वेबसाईट—state.bihar.gov.in/health पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

346(MA)
18/09/26


18/9/26
निदेशक प्रमुख

(रोग नियंत्रण, लोक स्वा० एवं पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।